न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. मसरूराम पुत्र सुरताराम जाति देवासी निवासी जालेराकलां तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अशोक पुत्र मादेवा
2. केसा पुत्र नानजी
3. तोलाराम पुत्र निम्बाजी
4. पंखु पुत्री मादेवा
5. प्रकाश पुत्र मादेवा
6. पारूदेवी पत्नि मादेवा
7. पार्वती पुत्री मादेवा
8. पीरा पुत्र नानजी जातियान रेबारी
9. बगदाराम पुत्र तारा
10. मेदाराम पुत्र तारा जातियान मेघवाल
11. मृतक रामा पुत्र नानजी के कायम मुकाम वारीसानः–

   11/1. गोकलाराम पुत्र रामा

   11/2. केराराम पुत्र रामा

   11/3. सीतादेवी पत्नि रामा जातियान रबारी निवासीयान दईपुर

   11/4. अणसी पुत्री रामा पत्नि जोगाराम जाति रेबारी निवासी हर्षवाडा तहसील रानीवाडा

   11/5. केरी पुत्री रामा पत्नि जयरूपाराम निवासी जालेराकलां

   11/6. सुकी पुत्री रामा पत्नि बालकाराम जाति रेबारी निवासी निम्बतलाई तहसील रेवदर

   11/7. खेतु पुत्री रामा पत्नि रताजी जाति रेबारी निवासी ऐट तहसील धानेरा जिला बनासकांठा(गुजरात)
12. वलमा पुत्री मादेवा जाति रेबारी
13. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ इंडिया रानीवाडा
14. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. वर्तमान में एस.बी.आई शाखा रानीवाडा
15. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 15 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:49 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक – 07.07.2022

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस

प्रकार है कि मौजा दईपुर तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 649 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नबंर 650/881 रकबा 0.24 हैक्टर जुमले रकबा 1.63 हैक्टर आई हुई है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 649 व 650/881 के पुर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 650 रकबा 4.18 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के नाम दर्ज है। प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 649 व 650/881 व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 650 की सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 89 दिनांक 23.3.2022 के जरिये उक्त भुमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार रानीवाडा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी दईपुर द्वारा दिनांक 25.3.2022 को मौके पर पैमाईश हेतु गये परन्तु विवाद व असहमति की अवस्था में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की आराजी की सीमा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 12 द्वारा माठ कायम नहीं करने दी तथा मौके पर विवाद बरकरार रहा। हल्का पटवारी दईपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.3.2022 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।

2. प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 649 व 650/881 व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 650 के सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 12 सीमा पर विवाद करते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपने नाम की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 649 व 650/881 व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 650 की पैमाईश कर प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 649 व 650/881 व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 650 की आराजी के बीच की सीमा का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी करवाने का प्रार्थी अधिकारी है, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।
3. अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर श्रीमानजी से निवेदन है कि सरहद मौजा दईपुर तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 649 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नबंर 650/881 रकबा 0.24 हैक्टर जुमले रकबा 1.63 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 खातेदारी की आराजी खसरा नबंर 650 रकबा 4.18 हैक्टर की पैमाईश कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की उपरोक्त आराजी के बीच की सीमा का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी करने के आदेश फरमावें।
4. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 15 की ओर राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 15 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.03.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा दईपूर के खसरा नम्बर 649, 650/881 व 650 के मध्य माठ विवादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:49 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद दईपूर पटवार हल्का दईपूर के खसरा नम्बर 649, 650/881 जूमले रकबा 1.63 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 650 रकबा 4.18 हेक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:49 IST
Reason: SelfAttested